उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या- 13/2016/2061जे/22-5-16-300(63)2016

लखनऊ: 18 नवम्बर,2016

वारण्ट

जिला कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दीपू उर्फ गौतम पुत्र इन्द्रपाल को मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर 510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, फतेहगढ़ में वापस भेज दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या- 13 /2016/2061जे(1)/22-5-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-37285/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/5/2016, दिनांक 19-10-2016 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।**
2. **जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।**
3. **पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद ।**
4. **अधीक्षक जिला कारागार, फतेहगढ़।**
5. **प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।**
6. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in